न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 03/2019

उनवान

1. श्रवण पुत्र स्व. बक्शा
2. रामेश्वर पुत्र स्व. बक्शा
3. पांचू पुत्र स्व. बक्शा
4. धापा देवी पुत्री स्व. बक्शा
5. शान्ति देवी पुत्री स्व. बक्शा
6. बनारसी देवी पुत्री स्व. बक्शा

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खेजरोली खारयाबाढ़, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मंगला
2. महेश पुत्र मंगला
3. मोहनलाल पुत्र मंगला
4. श्यामलाल पुत्र मंगला
5. सोहनलाल पुत्र मंगला
6. नन्छी पुत्री मंगला
7. विमला पुत्री मंगला
8. आंची पुत्री मुरली
9. कोशल्या पुत्री मुरली
10. गुड्डी पुत्री मुरली
11. गोपाल उर्फ सुगल पुत्र मुरली
12. नरेन्द्र पुत्र मुरली
13. नाथी देवी पत्नी मुरली
14. बनारसी पुत्री मुरली
15. मन्जू पुत्री मुरली
16. मन्नी पुत्री मुरली
17. राजू पुत्र मुरली
18. सुमन पुत्री मुरली
19. सुरेश पुत्र मुरली
20. कैलाश पुत्र हनुमान सहाय
21. कालू पुत्र हनुमान सहाय
22. तारा पुत्री हनुमान सहाय
23. तीजा पत्नी हनुमान सहाय
24. नरेश पुत्र हनुमान सहाय
25. रोहिताश पुत्र हनुमान सहाय
26. बीरू पुत्र हनुमान सहाय
27. सांवरमल पुत्र हनुमान सहाय

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

29. ...चा पुत्र मांगूराम
...शंकर पुत्र देबू
30. श्योपाल पुत्र देबू
31. छीतर पुत्र भैरू
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खेजरोली खारयावाढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
32. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

33. मुक्ता पुत्र परता, जाति माली, निवासी ग्राम खेजरोली खारयावाढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
34. राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा खेजरोली जरिये शाखा प्रबन्धक।
35. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा खेजरोली, जरिये शाखा प्रबन्धक।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 20.11.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 33 ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–बी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 3699 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3798 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 3799 रकबा 1.03 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड एवं मनबट के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगणों ने उक्त भूमि में अर्से दराज से अपने रहवास हेतु मकानात इत्यादि बना रखे है तथा कुआं, बिजली लगा रखी है एवं अपने परिवार सहित उसमें निवास कर रहे हैं।

प्रार्थीगणों के पास अपनी उक्त भूमि में आने–जाने हेतु तथा आज के समय में अपनी कृषि उपज को विक्रय हेतु मण्डी में ले जाने हेतु तथा बीमारी एवं मौत आदि के समय बडे साधन ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु माकुल रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थीगणों को अत्यन्त असुविधा हो रही है। जबकि प्रार्थीगणों की उक्त भूमि से मुख्य सडक खेजरोली से सिंगोद जाने वाली के मध्य अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 31 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3805 रकबा 0.39 हैक्टेयर ही पडती है जिससे मुख्य सडक की दूरी मात्र 30 से 40 फीट दूर ही है।

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा जो कि प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावें, नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3798 व 3799 के उत्तरी–पूर्वी कोने से मुख्य सडक तक अप्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 3805 के उत्तरी कोने से संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शित रास्ता पूर्वदृपश्चिम मार्क ए से बी लगभग 30 से 40 फीट लम्बा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है जिससे प्रार्थीगणों के तथा उनके वाहन इत्यादि लाने ले जाने की समस्या का निदान हो सकता है। उक्त भूमि मौके पर ... है जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगणों ने उक्त अप्रार्थीगणों से कई मर्तबा मौखिक रूप से उक्त रास्ता देने की तथा उसके एवज में उतनी भूमि या बाजारू कीमत अदा करने का प्रस्ताव भी अप्रार्थीगणों को दिया किन्तु उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर प्रार्थीगणों को मान्य न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उ... चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

उक्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 34 व 35 के यहां रहन होने के कारण उन्हें भी पक्षकार बनाये गये है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 33 की भूमि में आने जाने एवं काश्त हेतु, साधन वगै० लाने ले जाने व कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग के लिये अप्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 3805 के उत्तरी कोने से संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शित रास्ता पूर्व–पश्चिम मार्क ए से बी लगभग 30 से 40 फीट लम्बा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 32 को आदेशित करते हुये इसी अनुसार रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 32 को आदेशित कर प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को भुगतान करने बाबत् आदेशित करने की कृपा करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट खेजरोली में पेश हुई। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 11.11.2019 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी श्रवण वगैरह की खातेदारी भूमि ख0न0 3699, 3798, 3799 कुल किता 3 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम खेजरोली बी में स्थित है। मौका स्थितिनुसार उक्त भूमि काबिज काश्त भूमि है। प्रार्थी द्वारा ख0न0 3805 रकबा 0.39 है0 किस्म चाही मे से रास्ता चाहा गया है। जिसकी खातेदारी छीतर पांच्या वगैरह समस्त जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त भूमि खाली पडी है। प्रार्थी द्वारा ख0न0 3805 में से ख0न0 3806 के लगते हुए रास्ता चाहा गया है। ख0न0 3805 में से 14 मी0 लम्बाई में व 4 मी0 चौडाई में कुल 14X4=56 वर्ग मी0 भूमि रास्ते हेतु चाही गयी है। आवेदक के उक्त ख0न0 3799 में अन्य कोई रास्ता मौके पर नही है। रास्ते में जाने वाली भूमि की डी0एल0सी दर 2903730/– प्रति है0 है। नियमानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की गई है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3706, 3882, 3883, 3884 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हैं।

भूमि खसरा नम्बर 3706, 3705 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने अपने रिहायशी हेतु पुख्ता मकानात व पशुधन के लिये बाड़े वगै0 बना रखे हैं एवं खसरा नम्बर 3705, 3706 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 का कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही हैं व राजस्व नक्शे के मुताबिक पश्चिमी दिशा की ओर राजकीय प्राथमिक पाठशाला (राजीव गांधी पाठशाला) अवस्थित हैं इस पाठशाला में भी आवागमन हेतु कोई रास्ता मौके पर विधयमान नही हैं, इस कारण से पाठशाला में अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व ढाणी के आस–पास के बच्चो का विध्या अर्जन हेतु जाना भी सम्भव नही हो पाता हैं, रास्ते के अभाव में पाठशाला में बच्चो की संख्या भी कम हैं।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व शेष अप्रार्थीगण की भूमि एक–दूसरे से सींव जोड़ हैं, इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 भूमि खसरा नम्बर 3800 व 3805 की दक्षिणि सीमा के लगते रास्ता देने को तैयार व तत्पर हैं, यह रास्ता दक्षिणि सीमा से प्रार्थी के खसरा नम्बर 3799 में प्रवेश करके प्रार्थी के खसरा नम्बर 3799 में दक्षिणी तरफ होता हुआ खसरा नम्बर 3707 की सीमा में उत्तरी सीमा से पश्चिमी से दक्षिण की ओर ख0न0 3709 व 3708 की सीमाओं के पास ख0न0 3707 में कायम करते हुये दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 3706 की सीमा में प्रवेश करवाते हुये खसरा नम्बर 3707 व खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:09 IST
Reason: SelfAttested

उप... चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

की सीमाओ के पश्चिमी कोने में कायम करते हुये पश्चिमी दिशा की तरफ स्थित ...य तक कायम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय हैं, ताकि अप्रार्थीगण संख्या 1 ... 7 व प्रार्थी को भी रास्ता उपलब्ध हो सकेगा एवं विधालय में जाने का रास्ता भी उपलब्ध हो जावेगा। अप्रार्थीगण द्वारा सलंग्न राजस्व नक्शे में उक्त वर्णित रास्ते को पीले ... से प्रदर्शित किया जा रहा हैं।

पैरा नम्बर 3 में वर्णितानुसार रास्ता कायम कर दिये जाने पर प्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण को एक–दूसरे को न तो भूमि देनी पड़ेगी, ना ही बाजारू कीमत की अदायगी की आवश्यकता पडेगी बल्कि सभी पक्षकारान् को सहुलियत मिल सकेगी।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सहित के पेश कर न्यायालय श्रीमान् से निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 को भी काउन्टर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णितानुसार 18 फुट चौडाई में रास्ता दिलवाया जावें एवं रास्ते को राजस्व नक्शे में इन्द्राज कर आम रास्ता घोषित किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का उक्त खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का कोई रहवास नहीं है, ना ही उनके उक्त खसरा नम्बर पर रहवास के कोई मकानात बने हुये है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में आने जाने जाने हेतु खसरा नम्बर 3719, 3720, 3721 में कायम रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले रहे है तथा हर प्रकार के कार्यक्रमों में भी उक्त रास्ते का ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थीगणों द्वारा अपने वैकल्पिक रास्ते का उपयोग उपभोग करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 3719, 3720, 3721 में कायम रास्ते को आने जाने हेतु काम में लिया जाता चला आ रहा है। जो खसरा नम्बर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय–खारियाबाद के लगवा स्थित है। जिसकी सीमा से उक्त रास्ता उपलब्ध होने तथा उक्त रास्ते का प्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग करने के कारण मात्र पक्षकार की सुविधाओं के मध्य नजर किसी भी व्यक्ति को नाजायज रूप से हैरान परेशान करने की कुचेष्ठा से उक्त रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक फोटोग्राफ्स का सवाल है वह उक्त स्थल की नहीं है तथा फोटोग्राफ्स के आधार पर न्याय निर्णियन किया जाना न्याय संगत नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

चुंकि मन जवाबदाता की उक्त भूमि सड़क के लगवा है जिस भूमि पर वर्तमान समय में वाणिज्य व आवासीय गतिविधियां संचालित हो रही है। जिस कारण उक्त भूमि में से रास्ता दिया जाना आवश्यक नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है कि मन जवाबदाता की उक्त भूमिया मुख्य सडक पर होने व आवासीय व वाणिज्य उपयोग उपभोग की होने के कारण उसकी बाजार मूल्य वर्तमान समय में करीब 60–70 लाख रूपये प्रति बीघा है तथा अप्रार्थीगण की भूमि की किमत 8–10 लाख रूपये प्रति बीघा है। जिससे भूमि के बदले भूमि का हिसाब उचित नहीं होगा। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण को मन जवाबदाता की भूमि में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है तो उसे ... भूमि से चार गुणा भूमि दिलवाई जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:09 IST
Reason: Self Attested

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय ... मान्य न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमा... जावें।

प्रार्थीगण की ओर से जवाब उल जवाब मय जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि काउन्टर प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 में वर्णित भूमि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

र्ड से संबंधित है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 05 जो कि मुख्य डामर सड़क खेजरोली से सिंगोद जाती है पर स्थित है जिसके लगवा र्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3798, 3799 है जिसमें आने जाने का रास्ता नही होने से उक्त वर्णित अप्रार्थी के खसरा नम्बर 3805 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया है जिसका डीएलसी दर से न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार मुताबिक तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट राशि अदा करने को तैयार है।

अप्रार्थी ने मामले में पेचदगियां उत्पन्न करने के आशय से एवं प्रार्थी को रास्ते के अधिकार से वंचित करने के आशय से कई तथ्य वर्णित किये है जिससे की प्रार्थी वर्षो से रास्ते का अभाव झेल रहे है तथा आगे भी झेलते रहे। खसरा नम्बर 3799 के अलावा अप्रार्थी ने जिन खसरा नम्बरों का वर्णन किया है वे ना तो प्रार्थीगणों की खातेदारी में है, ना ही उनसे प्रार्थीगणों का कोई लेना–देना है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भविष्य में अप्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के अलावा अपनी भूमियों में आने जाने हेतु रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है तथा उसमें यदि प्रार्थीगण की भूमि कही आती है तो प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को अपनी भूमि खसरा नम्बर 3799 में से रास्ता प्रदान करने के लिए सदैव बाध्य रहेंगे।

प्रार्थीगण मान्य न्यायालय के आदेशानुसार तथा मुताविक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नम्बर 3805 के उत्तरी छोर से प्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 3798, 3799 तक रास्ते हेतु जितनी राशि निर्धारित की जावेगी अदा करने को अथवा भूमि के बदले भूमि अदा करने को तैयार है तथा हमेशा बाध्य रहेगा।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 अन्य अप्रार्थीगणों से मिलकर अनर्गल तथा प्रार्थना पत्र से असंबंधित भूमियां बाबत अनुतोष चाहा गया है जिन भूमियों का प्रार्थीगणों से कोई संबंध नही है, ना ही वे प्रार्थीगण की खातेदारी में है।

अतः अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मंजूर फरमाया जाकर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब प्रा0पत्र, काउन्टर क्लेम, जवाब उल जवाब व तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम प्रा0पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?

2. आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?

3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:09 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संघ अभियान के दौरान राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटारा) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2021 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2019

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

अनुसार चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। उभयपक्षों की बहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुवावजा का मुवावजा डीएलसी की दर का दो गुण राशि अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2019 के अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित ख0न0 3805 में से 14 मी0 लम्बाई में व 4 मी0 चौडाई में कुल 14X4=56 वर्ग मी0 रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक रिपार्ट तहसीलदार चोमू दिनांक 11.11.2019 के अनुसार वाके ग्राम खेजरोली बी पटवार हल्का खेजरोली बी, तहसील चौमू में स्थित संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित ख0न0 3805 में से 14 मी0 लम्बाई में व 4 मी0 चौडाई में कुल 14X4=56 वर्ग मी0 भूमि का मुवावजा की वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से भूमि कीमत 33450/— रूपये शब्दों में तैंतीस हजार चार सौ पचास रूपये अप्रार्थी को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चोमू को उक्त राशि जमा कर अप्रार्थी को भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं।नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चोमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
चौमूं, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner